REVIEW OF LITERATURE

ISSN: 2347-2723
IMPACT FACTOR : 2.0260(UIF)
VOLUME - 4 | ISSUE - 8 | MARCH - 2017

भारतीय समाज एवं वृद्धावस्था

डॉ. आलटे आर.एन.
सहायक प्राध्यापक ,स्वामी विवेकानन्द वरिष्ठ महाविद्यालय मंठा ता. मंठा जिला जालना (महाराष्ट्र)

प्रस्तावना :

व्यक्ति की आयु उसके जीवन की दिशा व दशा का निर्धारण करती है। जहाँ आयु बढ़ने के साथ–साथ व्यक्ति के अनुभव व ज्ञान में वृद्धि होती है, वहीं दूसरी ओर आयु बढ़ने के साथ व्यक्ति की शारीरिक क्षमताओं में भी कमी आनी आनी शुरू हो जाती है। शारीरिक क्षमता में कमी के साथ एवं एक आयु सीमा के पश्चात व्यक्ति की मानसिक क्षमता भी प्राकृतिक रूप से क्षीण होने लगती है। अतः जब आयु में जैवकीय रूप से शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं का ह्रास होना प्रारम्भ हो जाता है तो यह अवस्था ही वृद्धावस्था कही जाती है। अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्ड के आधार पर किसी भी समाज में 60 वर्ष से ज्यादा आयु वाला व्यक्ति वृद्धजन माना जाता है। भारत में भी 58 वर्ष की आयु व बेतवदवसवहपबंस आयु 60 वर्ष को वृद्धावस्था की प्रारम्भिक आयु माना जाता है। अतः सामान्यतः वृद्ध वर्ग की आयु सीमा 60 वर्ष मानी गयी है। व्यक्ति की

आयु व्यक्ति के अनुभवों, ज्ञान व सम्मान का सूचक होती है। परंतु समाज का वरिष्ठ नागरिक कहा जाने वाला यह वर्ग आज अपनी आयु के कारण ही गम्भीर समस्याओं से घिरा हुआ है। आयु बढ़ने के साथ ही व्यक्ति को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

व्यक्ति एक ओर जहाँ प्राकृतिक रूप से शरीर का शक्तिहीन हो जाना, त्वचा पर झुर्रियाँ आना प्रारम्भ होता है, वहीं दूसरी ओर उसे कुछ सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आर्थिक समस्या वृद्धों की मुख्य ज्वलंत समस्या है। वृद्ध महिलाओं को पुरुषों की तुलना में इस समस्या का अधिक सामना करना पड़ता है। चूँकि आर्थिक रूप से महिलाएँ या तो अपने बच्चों पर निर्भर रहती है। या फिर किसी चैरिटेबल या धार्मिक संस्था पर। इसी प्रकार वृद्धों में सामाजिक समायोजन की समस्या भी एक मुख्य समस्या के रूप में देखने को मिल रही है। आज समाज में तीव्र गति से परिवर्तन घटित हो रहे हैं। इन बदलते मूल्यों, बदलती संस्थाओं तथा बदलते सामाजिक पर्यावरण के साथ वृद्ध समायोजन नहीं कर पाते, फलस्वरूप इनके मन में कुण्ठा, अकेलापन, तनाव व संघर्ष पैदा हो जाता है इसलिए वर्तमान में वृद्धजन युवा पीढ़ी व समाज से भी आहत महसूस कर रहा है।

आज युवा पीढ़ी से यह अपेक्षा है कि वह वृद्धजनों के साथ शालीनता से व्यवहार करे, उनके प्रति आदर व्यक्त करे तथा सम्मान प्रदान करे। कुछ हद तक युवा पीढ़ी इस कार्य को कर भी रही है परंतु बदलते समाज में ह्रास होते प्रतिमानों, परम्परा व बदलाव लाने वाले कारकों के मध्य यह दृष्टिकोण कितने समय तक रहेगा यह कहा नहीं जा सकता। आज जहाँ औद्योगीकरण, नगरीकरण, व्यावसायीकरण, आधुनिक शिक्षा एवं वैश्वीकरण के बल पर भारतीय समाज के विकास की कल्पना की जा रही है। वही भारतीय परम्परागत मूल्यों का ह्रास भी हो रहा है तथा

व्यक्ति के व्यक्तित्व में व्यक्तिवादिता के कारण आत्मीयता में भी कमी आयी है। फलतः आज भारतीय समाज में परम्परा एवं आधुनिकता में द्वन्द्व देखने को मिल रहा है। एक ओर भारतीय समाज भौतिकवाद की ओर अग्रसर है वहीं दूसरी ओर भारतीय संस्कृति मूल्य, मापदण्ड प्रतिमानों के स्वरूप में परिवर्तनशीलता स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रही है। अतः सम्पूर्ण समाज बदलाव की ओर अग्रसर है।

भारतीय समाज में वृद्धजनों का वर्ग बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, लेकिन बदलते सामाजिक परिवेश में यह वर्ग अनेक समस्याओं से प्रभावित है। वृद्धजनों की समस्याओं का ध्यान में रखते हुए अध्ययन की एक शाखा का विकास हुआ जिसे ळमतवदजवसवहल कहा जाता है।

वृद्धों के संदर्भ में अनेक विदेशी अध्ययन समाजशास्त्रियों व मानवशास्त्रियों द्वारा किए गए हैं, इनमें इप्सटीन (1930), क्रेप्स (1953), कारसन (1955), स्टीनर और डारमैन (1957), मेन्पाटे और थापस (1969), नैन्सीदातान और नैन्सी लाहमान (1980) के अध्ययन मुख्य हैं। इस संदर्भ में भारतीय समाज वैज्ञानिकों द्वारा भी जरेन्टोलॉजी के क्षेत्रा में विकास हुआ है तथा इस दिशा में भारतीय समाजशास्त्रियों द्वारा किये गये अध्ययनों में जगजीत सिंह (1962), गुरुशरन कौन (1964), रामूर्ति पी.वी. (1970, 1996), पुरोहित सी.के. एवं शर्मा आर. (1972), कुरियन जार्ज (1972), पी.के.वी. नायर (1980), पाठक जे.डी. (1982), भाटिया (1983), चण्डी प्रसाद (1983), के. महादेवर (1986), अनिल महाजन (1987), देसाई (1986), भट्टाचार्य (1989), सरस्वती मिश्रा (1989) आदि के अध्ययन प्रमुख हैं।

सामाजिक व व्यावहारिक विज्ञानों में भी वृद्धों की समस्याओं का अध्ययन हो रहा है। बदलते परिवेश में इस प्रकार के अध्ययनों की सदैव आवश्यकता बनी रहती है। आज वृद्धजनों की समस्याएँ बढ़ती चली जा रही है। ये समस्याएँ मुख्यतः उनकी पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक एवं व्यक्गित/मानसिक रूप से जुड़ी हैं। इस अवस्था में धन की आवश्यकता के साथ प्रेम, मानसिक संतोष एवं सहयोग की आवश्यकता रहती है। परंतु अधिकांश वृद्धजन इन्हीं से वंचित हैं। 2007 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1,028,610,328 में से 7.4 प्रतिशत 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों की है।

यूनाइटेड स्टेट सेंसस ब्यूरो द्वारा किये गये अध्ययन से ज्ञात होता है कि 80 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों का प्रतिशत अलग–अलग देशों में भिन्न–भिन्न है। विश्व की कुल 80 वर्ष की आयु वाले वृद्धजनों की संख्या भारत में 8.7 प्रतिशत है, जबकि चीन में सर्वाधिक 16.3 प्रतिशत है। वर्तमान समय में भारत में कुल वरिष्ठ नागरिकों की संख्या लगभग 7 करोड़ 70 लाख है एवं आने वाले 25 वर्षों में यह संख्या 17 करोड़ 70 लाख हो जायेगी और इसमें 51 प्रतिशत महिलाएँ होंगी।

वर्तमान समय में दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा वृद्धजनों की संख्या भारत में है। अतः विश्व के अधिकांश देशों की तरह भारत में वृद्धजनों की संख्या व समस्याओं में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है।

आज तेजी से बढ़ते शहरीकरण और आधुनिक परिस्थितियों की अनिवार्यता से पारम्परिक संयुक्त परिवार परम्परा टूट रही है और जिसके परिणामस्वरूप एकल परिवारों की वृद्धि हो रही है। बेहतर चिकित्सा सुविधाओं से उम्र में वृद्धि हो रही है। बेहतर चिकित्सा सुविधाओं से उम्र में वृद्धि हुई है। देश में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या बढ़ती जा रही है। वृद्धजनों की संख्या 1951 से 19.8 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2001 में 76 मिलियन हो गयी। अनुमान है कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों की संख्या बढ़कर वर्ष 2013 में 100 मिलियन तथा वर्ष 2030 में 198 मिलियन हो जायेगी। जीवन प्रत्याशा जो वर्ष 1947 में लगभग 29 वर्ष थी, अब कई गुना बढ़कर 63 वर्ष से अधिक हो गई है। भारतीय समाज के परम्परागत मूल्य में वृद्धजनों को सम्मान देना और देखभाल करने पर बल दिया जाता रहा है। पर हाल के समय में धीरे–धीरे पर निश्चित तौर पर संयुक्त परिवार प्रणाली में विघटन हो रहा है। परिणामस्वरूप भावनात्मक, शारीरिक और वित्तीय सहायता की कमी से काफी संख्या में माता–पिता की उनके परिवारों द्वारा उपेक्षा की जा रही है। ये वृद्ध जन पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा की कमी में अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। यह स्पष्ट करता है कि वृद्धावस्था एक बड़ी सामाजिक चुनौती बन गयी है और वृद्ध जनों की आर्थिक और स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने और वृद्धजनों की भावनात्मक जरूरतों के प्रति संवेदनशील वातावरण बनाये जाने की भी आवश्यकता है। वृद्ध लोगों की एक बड़ी आबादी काम करने में असमर्थ होगी। इस प्रकार के आर्थिक

रूप से दूसरे पर निर्भर होंगे। पारिवारिक सहारे के अभाव में उन्हें सरकार से मदद की उम्मीद होगी। भले ही राज्य सरकार एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने विकलांगों या अति गरीबों की कुछ वित्तीय सहायता की योजना चालू की है पर ऐसे पेंशन की राशि 30 से 60 रुपये प्रति माह ही है। इसके अलावा फण्ड की उपलब्धता की कमी के कारण इस पेंशन योजना के तहत कुछ लोग ही आ पाते हैं। भारत में बुजुर्गों के बेहतर स्थिति को बढ़ावा देने वाले सकारात्मक पहलुओं में एक परिवार के सदस्यों का उनके साथ गहरा जुड़ाव है। ऐसे लोग जो अपने बुजुर्गों की देखभाल की जिम्मेदारी नहीं उठा पाते उन पर सामाजिक दबाव बना रहता है इसलिए इन मूल्यों को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण हो जाता है। परिवार के बुजुर्गों को मानव संसाधन के तौर पर देखा जाना चाहिए तथा उनके समृद्ध अनुभवों का उपयोग देश की ज्यादा–से–ज्यादा विकास में करना चाहिए। सरकार द्वारा उनके स्वस्थ एवं सार्थक जीवन की क्षमता को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

जब बच्चे अन्य शहरों में रहने लगते हैं तब माता–पिता अपने परिवार के पुराने स्थान पर रहना पसंद करते हैं और वे स्वयं को अकेला पाते हैं। बढ़ती उम्र की परेशानियों के साथ स्वास्थ्य की समस्याएँ जुड़ जाती हैं, असामाजिक तत्वों द्वारा किये जाने वाले अपराध और अपर्याप्त आय से उनकी असुरक्षा की भावना बढ़ने लगती है। बच्चे अपने नए जीवन में व्यस्त होने के कारण उनके पास नियमित रूप से आने में सक्षम नहीं होते। माता–पिता को अकेले ही गुजारा करना होता है जो कई बार सीमित आय के कारण कठिन होता है।

समस्याएँ– वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं को निम्नलिखित तीन भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है–

1. **आर्थिक समस्या**–इसमें रोजगार का खोना, आय की कमी और आय की असुरक्षा शामिल है।
2. **शारीरिक समस्याएँ**– स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी समस्या पोषण की कमी तथा आवास की समस्या आदि।
3. **मानसिक–सामाजिक समस्या**– इसके तहत वृद्धों के साथ दुर्व्यवहार व मानसिक तथा सामाजिक असहजता शामिल है।

कल्याण– माता–पिता और वरिष्ठ नागरिक समाज का एक भौतिक और मानसिक रूप से सक्रिय एक हिस्सा बनते हैं जो उपभोक्ता तथा मतदाता की दोहरी ताकत वाला होता है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने वर्ष 2007 में देश के वृद्ध भारतीय नागरिकों के मन से असुरक्षा के भय को समाप्त करने के लिए वरिष्ठ नागरिक अधिनियम लागू किया।

वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007– यह केंद्रीय सामाजिक और अधिकारिता मंत्राालय की एक पहल है। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं–

- ऐसे माता–पिता जो अपनी आय अथवा अपनी सम्पत्ति की आय से अपना खर्च उठाने में असक्षम हैं वे अपने वयस्क बच्चों से अपने रख–रखाव के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस रख–रखाव में उचित भोजन, आवास, कपड़े और चिकित्सा उपचार का व्यय शामिल हैं।
- माता–पिता में जैविक गोद लिए गए और सौतेले माता–पिता शामिल हैं, चाहे वे वरिष्ठ नागरिक हो या नहीं।
- संतानहीन वरिष्ठ नागरिक जो 60 वर्ष या इससे अधिक हैं वे भी अपने रिश्तेदारों से रखरखाव का दावा कर सकते हैं जो उनकी सम्पतित पर कब्जा रखते हैं या बाद में इसकी संभावना है।
- रख–रखाव के लिए यह आवेदक वरिष्ठ नागरिक द्वारा स्वयं अथवा उसके द्वारा अधिकृत या स्वयं सेवी संगठन द्वारा किया जा सकता है। ट्रिब्यूनल द्वारा इस पर अपने आप कार्रवाई की जा सकती है।
- ट्रिब्यूनल में आवेदन प्राप्त होने पर बच्चों/रिश्तेदारों के खिलाफ छानबीन या आदेश दिया जा सकता है कि वे अपने माता–पिता या वरिष्ठ नागरिकों के रखरखाव के लिए एक अंतरिम मासिक भत्ता प्रदान करें।

- यदि ट्रिब्यूनल इस बात से संतुष्ट है कि बच्चों या रिश्तेदारों ने अपने माता–पिता या वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल से इंकार किया है या इसकी उपेक्षा की है तो वे प्रतिमाह अधिकतम 10 हजार रुपये की राशि का मासिक रखरखाव भत्ता देने का आदेश देंगे।
- राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक उपसंभाव में ऐसे एक या इससे अधिक ट्रिब्यूनल की स्थापना किया जाएगा। यह प्रत्येक जिले एक अपीलीय ट्रिब्यूनल भी गठित करेगा जो ट्रिब्यूनल के विरुद्ध वरिष्ठ नागरिकों की अपील की सुनवाई करेगा।
- दोषी व्यक्ति को 3 माह की कैद या 5000 रुपये का जुर्माना अथवा दोनों का दण्ड दिया जा सकता है।
- लाभार्थियों के लिए वृद्धाश्रम की स्थापना तथा अस्पतालों में वृद्ध नागरिकों के लिए अलग से विस्तार प्रदान किये जाने का प्रावधान भी इस अधिनियम में है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम– राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरूआत 15 अगस्त 1995 को हुई थी। यह संविधान के अनुच्छेद 41 एवं 42 के नीति निर्देशक तत्वों के अनुपालन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कार्यक्रम गरीब परिवारों में वृद्धावस्था जीविकोपार्जन करने वाले मुख्य सदस्य की मृत्यु तथा मातृत्व जैसी स्थितियों में लाभ पहुँचाने के लिए सामाजिक सहायता की एक राष्ट्रीय नीति प्रस्तुत करता है। इस कार्यक्रम के तीन अंग हैं, जिनके नाम हैं–

- राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (एनओएपीएस)
- राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एनएफबीएस)
- राष्ट्रीय मातृत्य लाभ योजना (एनएमबीएस)

कई क्षेत्राों से मिले परामर्श तथा राज्य सरकारों से मिली प्रतिक्रिया के बाद वर्ष 1998 में इन योजनाओं में आंशिक सुधार किया गया। वर्तमान सुधारों के बाद इन योजनाओं की मुख्य विशेषताएँ निम्न हैं–

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना– इस योजना के अन्तर्गत निम्न शर्तों के अनुसार केंद्रीय सहायता उपलब्ध है–

- आवेदनकर्ता (पुरुष या महिला) 65 वर्ष या इससे ज्यादा उम्र के हों।
- ऐसे आवदेनकर्ता जो अपने जीविकोपार्जन के òोतों या परिवार अथवा दूसरे òोतों से मिलने वाली अल्प आर्थिक सहायता या अनियमित रोजगार साधनों पर निर्भर करता/ करती हो, 'दरिद्र' की श्रेणी में आयेगा/आयेगी।
- केंद्रीय सहायता के दावे के लिए वृद्धावस्था पेंशन की राशि 75 रुपये प्रतिमाह है।

इस योजना के उपर्युक्त शर्तें पूरी करने पर 75 रुपये प्रतिमाह की राशि उपलब्ध करायी जाती है।

वृद्धजनों के लिए राष्ट्रीय नीति– वृद्धजनों के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा जनवरी 1999 में की गयी। इसका मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति को स्वयं या अपने और अपने सहयोगी के वृद्ध जीवन की तैयारी हेतु प्रोत्साहन देना, परिवारों को अपने बुजुर्ग सदस्यों की देखभाल के लिए प्रोत्साहित करना, परिवार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली देखभाल में स्वयंसेवी और गैर सरकारी संगठनों को पूरक योगदान हासिल करना, गम्भीर हालात वाले वृद्ध लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल और संरक्षण, वृद्धों के लिए सेवा और संरक्षण देने वाले लोगों को अनुसंधान तथा प्रशिक्षण सुविधाएँ उपलब्ध करना तथा वृद्धों में ऐसी जागरूकता पैदा करना जिससे वे स्वयं आत्मनिर्भर बन सकें।

राष्ट्रीय वृद्ध परिषद–केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2005 में वृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय वृद्ध परिषद का पुनर्गठन किया जो वृद्धों के बारे में नीतियों और कार्यक्रमों के विकास के लिए सरकार को सलाह और सहायता देती है। यह वृद्धों के बारे में राष्ट्रीय नीति और उनके लिए विशेष उपायों पर अमल किये जाने के बारे में की गयी कार्रवाही की

जानकारी भी देती है। परिषद वृद्धों के कल्याण हेतु नीति तैयार करने और कार्यक्रमों पर अमल करने के मामले में सरकार को सलाह देने और तालमेल रखने के मामले में सर्वोच्च संस्था है।

वृद्धों के लिए समन्वित कार्यक्रम– इस योजना के अन्तर्गत गैर सरकारी संगठनों, पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों को परियोजना लागत की 90 प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाती है। यह सहायता राशि वृद्धाश्रम बनाने और उसकी देखभाल करने, दिन के देखभाल केंद्र, सचल चिकित्सा सुविधा इकाइयाँ खोलने और उसका कार्य संचालन करने और वृद्धों को गैर संस्थागत सेवाएँ उपलब्ध कराने पर व्यय की जाती है। इस कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

1. निराश्रित वृद्ध व्यक्तियों को वृद्धजनों की आधारभूत विशेषकर भोजन, आश्रय और स्वास्थ्य देखरेख की जरूरतों को पूरा करने वाला कार्यक्रम।
2. विशेषकर बच्चों/ युवाओं और वृद्धजनों के बीच अन्तर पीढ़ी संबंधों को बनाने और सुदृढ़ करने वाले कार्यक्रम।
3. सक्रिय एवं उत्पादक वृद्धावस्था को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रम।
4. वृद्धजनों को संस्थागत के साथ गैर संस्थागत देखभाल/सेवाएँ प्रदान करने के लिए कार्यक्रम।
5. वृद्धावस्था के क्षेत्रा में अनुसंधान, एडवोकेसी और जागरूकता निर्माण के लिए कार्यक्रम और
6. वृद्धजनों के सर्वोत्तम हित में कोई कार्यक्रम।

वृद्धजनों के लिए भारतीय रेल में रियायत– वरिष्ठ नागरिकों को भारतीय रेलवे से यात्राा करने में रियायतें दी जाती हैं। ये रियायतें न्यूनतम 60 वर्ष से अधिक व्यक्तियों के लिए है। कुल किराये पर पुरुष वरिष्ठ नागरिकों को टिकट पर 30 प्रतिशत की छूट और महिला वरिष्ठ नागरिकों को 50 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जाती है।

बैंक जमाओं पर अधिक ब्याज दर– बैंकों में वरिष्ठ नागरिकों को उनके निवेश पर तुलनात्मक रूप से आधे से पौन फीसदी अधिक ब्याज दर देता है। बैंक फिक्स्ड डिपोजिट पर भी ज्यादा लाभ तभी मिलता है जब व्यक्ति की उम्र 60 साल से अधिक हो।

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना– वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएसएस) पर ब्याज दर 9 फीसदी की होती है। इस योजना में प्रवेश करने की उम्र जमा योजना की तरह ही यानि 60 वर्ष होती है। वैसे सरकार से सेवानिवृत्त हो रहे व्यक्ति की उम्र यदि 55 साल से अधिक हो रही हो तो उसे इस योजना में निवेश करने की छूट प्रदान की गयी है।

वृध्दजनों के अधिकार

- माता–पिताको उनके आवास से बिना विहित विधिक प्रक्रिया के नहीं हटाया जा सकता, यदि वे बहुत पहले से उसमें रह रहे हैं इसके लिए तीन अधिनियम बनाये गये हैं।
- सीआरपीसी की धारा 125 के अनुसार कोई मजिस्ट्रेट मेनरेटेनेंस ऑफ पैरेंट एक्ट के तहत बच्चों को उनके माता–पिता की देखभाल की आज्ञा दे सकता है।
- हिंदू उत्तराधिकार और देखभाल अधिनियम के अनुसार वरिष्ठ माता–पिता अपने बच्चों से वैसा ही रखरखाव की माँग कर सकता है जैसा कि एक पत्नी अपने पति से रखती है।
- घरेलू हिंसा अधिनियम की किसी दुरूपयोग के विरुद्ध माता–पिता को राहत प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है।

अन्त में वृद्धों की सुरक्षा, समाज को दिशा निर्देशन व स्वस्थ समाज के लिए जहाँ एक ओर जरूरी है वहीं दूसरी ओर वृद्धों का अनुभव, ज्ञान व चिंतन राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक है। अतः वृद्धों को समस्यात्मक जीवन से

उभारना आवश्यक है। सरकार के द्वारा प्रयास अवश्य किये जा रहे हैं। लेकिन सरकार की इन योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से न होने के कारण इसका समुचित लाभ वृद्धजनों तक नहीं पहुँच पा रहा है। वृद्धजनों की समस्याएँ आर्थिक व सामाजिक ही नहीं अपितु पारिवारिक मानसिक व स्वास्थ्य सम्बन्धी भी हैं। वृद्धजनों के एक बड़े समूह को आर्थिक ही नहीं बल्कि भावात्मक एवं संवेगात्मक सहायता की भी आवश्यकता होती है, आर्थिक रूप से सुरक्षित होने के पश्चात् भावात्मक आधार को मजबूत करने की भी नितान्त आवश्यकता है। वृद्धजनों को अपने परिवार से अपेक्षाएँ रहती हैं कि परिवारजन उनके साथ कुछ समय व्यतीत करें एवं उनकी बातों को मूल्य दें तथा उन्हें सम्मान दें। ऐसी स्थिति में पारिवारिक सदस्यों की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि धैर्यपूर्वक वृद्धजनों को समझने व सुनने की कोशिश करें। साथ ही अहम फैसलों में उनकी सजाह एवं अनुभवों को शामिल करें। तभी हम भारतीय समाज से वृद्धजनों की समस्याओं को और उनमें बढ़ती असंतोष की भावना को कम कर सकते हैं।

संदर्भ

1. भारत की जनगणना, 2001
2. संयुक्त राष्ट्र की जनगणना 2000
3. हिंदुस्तान दैनिक समाचार पत्रा 25 फरवरी रविवार, 2009 पृ. 21
4. राम आहूजा–सामाजिक समस्याएँ, द्वितीय संस्करण, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2004
5. Dr. Ganesh Pandey : Indian Social Problems 2003, Radha Publication, New Delhi.
6. प्रतियोगिता दर्पण, समसामयिक वार्षिकी 2010
7. राधाकमल, मुकर्जी : चिंतन परम्परा शोध पत्रिाका जनवरी– जून 2009, समाज विज्ञान विकास संस्थान, चांदपुर बिजनौर, उ.प्र.